

अंतरिम कार्यवाही दिनांक 14-03-2018

पीठासीन अधिकारी के ट्रेनिंग पर होने से प्रकरण मेरे समक्ष प्रस्तुत।

अनावेदक पक्ष की ओर से प्रस्तुत शीघ्र सुनवाई आवेदन पत्र पर से न्यायहित में दर्शित आधार पर प्रकरण सुनवाई में लिया गया।

आवेदक/राज्य द्वारा श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक।

अनावेदक/अभियुक्त रनू उर्फ रणजीत द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक/अभियुक्त रनू उर्फ रणजीत की ओर से उनके अधिवक्ता ने अर्थदण्ड की राशि 65,000/- रुपये रसीद क्रमांक 100, बुक क्रमांक 6886 पर जमा कराई गई।

आदेश पत्रिका दिनांक 26.09.07 के अनुसार प्रकरण में संपूर्ण अर्थदण्ड की राशि जमा हो चुकी है और अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः पूर्व से नियत तिथि निरस्त की जाती है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एस0के0गुप्ता)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड